संख्याः 661 /8–3–17–26 विविध/17 टी0सी0

प्रेषक,

**नितिन रमेश गोकर्ण**
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश
2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।
3. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश
4. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ.प्र., लखनऊ।
5. **अधिशासी निदेशक,**
आवास बन्धु, लखनऊ।

**आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3** **लखनऊ : दिनांक : 11 मई, 2018**

**विषयः** भारत सरकार की AMRUT योजनान्तर्गत 'Ease of Doing Business' में आन लाईन बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम (OBPAS) की व्यवस्था तैयार कर लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उत्तर प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा आवास एवं विकास परिषद में ऑन–लाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (OBPAS) लागू करने हेतु देश में उपलब्ध विभिन्न प्रौद्योगिकीयों तथा लागू व्यवस्थाओं का अध्ययन करके इस व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए शासनादेश संख्या–1059/आठ–3–17–2017–26–विविध/17टीसी, दि. 14.09.2017 द्वारा आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की अध्यक्षता में तथा तत्क्रम में शासनादेश संख्या–158/8–3–18–26विविध/2017, दिनांक 03.02.2018 द्वारा अधिशासी निदेशक, अवास बन्धु लखनऊ की अध्यक्षता में समिति का गठन करके इस हेतु रोडमैप तैयार कर शासन को आवश्यक परामर्श देने के निर्देश दिये गये थे।

2– उक्त के क्रम में (OBPAS) की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर होने वाले अत्याधिक व्ययभार के दृष्टिगत इस व्यवस्था को Build, Own and Operate (BOO) पद्वति पर लागू किये जाने की संस्तुति समिति द्वारा की गयी है तथा इस कार्यवाही को कराने के लिये किसी अनुभवी व विशेषज्ञ कम्पनी के चयन हेतु RFQ-cum-RFP document तैयार किया गया है जिसके मुख्य अंश निम्न प्रकार हैं :–

क– प्रस्तावित पद्वति से किसी भी प्राधिकरण तथा आवास विकास परिषद को धनराशि व्यय नहीं करनी होगी।

ख– भारत सरकार द्वारा 'Ease of Doing Business' के अन्तर्गत प्रस्तावित समस्त मद यथा प्लीन्थ लेवल नोटिफिकेशन, ऑन–लाइन इन्सपेक्शन रिपोर्टस,

ऑन–लाइन कम्पलीशन सर्टिफिकेट्स, कम्प्यूटर द्वारा साइट इन्सपेक्टर्स का स्वतः चयन इत्यादि व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

ग– सम्पूर्ण व्यवस्था के समस्त चरणों हेतु सभी स्टेकहोल्डर्स को स्वतः ई–इन्टीमेशन (मोबाइल एसएमएस/ई–मेल) की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। इसी प्रकार समस्त प्रकार के इन्सपेक्शन रिपोटर्स को ऑन–लाइन जारी किये जाने की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

घ– इस अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से कियान्वित की जाने वाली सम्पूर्ण प्रणाली को निजी विशेषज्ञ के माध्यम से कराया जाना है, जिसके सुचारू रूप से संचालन हेतु सर्विस लेवल एग्रीमेन्टस (SLA) का भी प्राविधान किया गया है।

3– उक्त की पृष्ठ भूमि में तात्कालिक प्रभाव से निम्न व्यवस्था लागू की जाती है :–

(3.1) प्रस्तावित व्यवस्था को विकसित करके सर्वप्रथम प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के समस्त लोकेशन्स में तथा प्रदेश के समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में लागू किया जाये।

(3.2) प्रदेश में इस व्यवस्था को विस्तारित कराने एवं प्रदेश में लागू करने के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश को नोडल विभाग घोषित किया जाता है। इस कार्य पर होने वाले समस्त व्यय यथा यात्रायें, मीटिंग्स का आयोजन, अनुशांगिक उपकरण व साफ्टवेयर्स का क्रय इत्यादि की प्रतिपूर्ति आवास बन्धु द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ.प्र. को की जायेगी।

(3.3) इस कार्य की निविदा सम्बन्धी समस्त कार्यवाही RFQ-cum-RFP Document में निर्धारित तिथियों पर आवास बन्धु द्वारा सम्पादित की जायेगी जिसमें नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के तकनीकी अधिकारी आवास बन्धु को सहयोग प्रदान करेंगे।

(3.4) इस परियोजना की तकनीक को विकसित कराने के लिए चयनित कम्पनी को सहयोग प्रदान करने हेतु सम्बन्धित समस्त विभाग/अभिकरण यथा लखनऊ विकास प्राधिकरण उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के एक–एक अधिकारी जो नियोजन के साथ–साथ कम्प्यूटर तकनीकों से भी भिज्ञ हों, को Single Point Contact (SPC) के रूप में नामित कर चयनित कम्पनी को सूचित किया जाये।

(3.5) नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र. को निर्देशित किया जाता है कि जब तक चयनित कम्पनी द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था तैयार की जाती है, की अवधि में देश के अन्य राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्थाओं को लागू करने में हुई कठिनाईयों व समस्याओं का व्यापक अध्ययन कर लें ताकि उत्तर प्रदेश हेतु OBPAS की प्रस्तावित व्यवस्था, जो अत्यन्त जटिल है, प्रदेश में सफलतापूर्व लागू किया जा सके।

(3.6) OBPAS की इस व्यवस्था को यथासम्भव "Zero Human Intervention" के रूप में विकसित कराया जाये। यदि इस हेतु प्राधिकरण की प्रचलित व्यवस्थायें यथा प्रापर्टी माड्यूल, फाईनेन्स माड्यूल इत्यादि में किसी प्रकार के परिवर्तन, संशोधन अथवा अपग्रेडेशन की आवश्यकता हो तो उसे तत्काल कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(3.7) OBPAS की व्यवस्था का द्वितीय चरण में प्रदेश में समस्त विनियमित क्षेत्रों में भी लागू किया जाना है। इस हेतु आवश्यक प्रस्ताव तत्काल तैयार कर शासन को उपलब्ध कराया जाये।

4— इस संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यवाही को समयबद्ध रूप से सम्पादित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

**(नितिन रमेश गोकर्ण)**
प्रमुख सचिव

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

**प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—**

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. मिशन निदेशक (अमृत), उत्तर प्रदेश, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. श्री अनिल तिवारी, सहायक निदेशक, सिस्टम, आवास बन्धु, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि समस्त संबंधित को तामील कराने का कष्ट करें।
4. गार्ड फाईल।

**आज्ञा से,**

**(संजय कुमार सिंह)**
अनु सचिव